उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या – 25/2011

मो० बिरसी मंझियान बनाम् राज्य एवं उमेश प्रसाद अग्रवाल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
02-01-2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा देवरिया, बरगांवा, थाना– पतरातू, थाना नं0– 48, खाता नं0– 36, प्लॉट नं0– 909, कुल रकबा– 5.68 एकड़ मध्ये रकबा– 0.05 एकड़ भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त खाते से संबंधित भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में संधारित राजस्व पंजी–II के पृ0सं0–42/I पर मंगरा मांझी पिता मेहीदास मांझी के नाम से कायम है। आदिवासी खाते की भूमि विपक्षी को विधिवत् प्राप्त है या नहीं, यह संदिग्ध प्रतित् होता हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत् भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमि हस्तान्तरण से संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का विधिवत् जाँच/अवलोकन नहीं किया गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–06/2009–10 मो0 बिरसी मंझियान वगै0 बनाम् उमेश प्रसाद अग्रवाल में दिनांक 28.06.2011 को पारित आदेश को **निरस्त** करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु **रिमाण्ड** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 07/1/19 उपायुक्त, रामगढ़। (हस्ताक्षर) 07/1/19 उपायुक्त, रामगढ़।	42 निदि 07/01/19

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–25/2011

मो० बिरसी मंझियान बनाम राज्य एवं उमेश प्रसाद अग्रवाल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
26/05/25	अभिलेख उपस्थापित। भू–वापसी अपील वाद संख्या–25/2011 मो० बिरसी मंझियान बनाम राज्य एवं उमेश पसाद अग्रवाल में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–02.01.2019 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नही किया गया है। दिनांक–11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्त्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की पति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई करें। Chandan 26/05/25 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.28 13:28:07 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned with OKEN Scanner